"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019—आषाढ़ 28, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 जून 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्ट, जिला-रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 21 जून 2019

क्रमांक एक 1-73/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के माध्यम से अनुपूरक/प्रतिक्षा सूची से चयन किये गये उम्मीदवार श्री श्यामबली कुमार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) (अन्य संवर्ग) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत ग्रंथपाल, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15600-39,100/-+ग्रेड वेतन रु. 6,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक शासकीय पॉलीटेक्निक संस्था गरियाबंद में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थ करता है :—

2. उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होंगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छ.ग. तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) (अन्य संवर्ग) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13(1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13(2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13(3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशी को अपना स्वास्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है. अत: पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, तो सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित संस्था में एक नॉनज्यूडिशियल शपथ पत्र देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थी के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012 रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012, तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी.

4. नियुक्ति में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह ठाकुर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 24 जून 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 10842/भू-अर्जन/2018-19.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	गुरसियॉ	1.813 हे.	गुरसियॉ-सलिहाभाठा पहुंच मार्ग में अधिग्रहित भूमि में सड़क के निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, गुरसियॉ में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	गुरसियॉ-सलिहाभाठा पहुंच मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण के लिए अर्जित होने पर.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सड़क के निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि पूर्व में अर्जित हो चुकी है. सड़क निर्माण से आवागमन की सुविधा सुगम हुई है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 11097/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	लखनपुर	1.129 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, लखनपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने पर फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2019

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 11440/भू–अर्जन/2019–20.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	दमउकुण्डा	0.751 हे.	गुरसियॉ–सलिहाभाठा पहुंच मार्ग में अधिग्रहित भूमि में सड़क के निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19–07–2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, मानिकपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	गुरसियाँ–सलिहाभाठा पहुंच मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण के लिए अर्जित होने पर.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सड़क के निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि पूर्व में अर्जित हो चुकी है. सड़क निर्माण से आवागमन की सुविधा सुगम हुई है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 31 मई 2019

क्रमांक/1270/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	मड़ई प.ह.नं. 06	0.74	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बेमेतरा.	हेम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर के चैन क्र. 592 से 600 के अन्तर्गत प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कांवरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 जून 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2016-17.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-कोतरा, प.ह.नं.-18, तहसील रायगढ़ व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.567 हे. केलो परियोजना अंतर्गत तारापुर माईनर नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11(1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 01-12-2017 तथा दिनांक 22-06-2018 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कोतरा

क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	329/2	0.032	2.	332/2	0.008
3.	436/6	0.016	4.	425/2क	0.024
5.	332/2	0.014			
				कुल खसरा-05, कुल रकबा 0.094 हे.	

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जून 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2016-17.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-खोखरा, प.ह.नं.-24, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.116 हे. केलो परियोजना अंतर्गत खोखरा माईनर नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11(1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 01-12-2017 तथा दिनांक 15-06-2018 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-खोखरा

क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	115/12	0.032
	कुल खसरा-01, कुल रकबा 0.032 हे.	

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जून 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2016-17.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-नवापारा, प.ह.नं.-17, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.050 हे. केलो परियोजना अंतर्गत धनागांव सब माईनर नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11(1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 01-12-2017 तथा दिनांक 15-06-2018 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-नवापारा

क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	489/1 क	0.053
	कुल खसरा-01, कुल रकबा 0.053 हे.	

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2019

क्रमांक 33/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की अध्याय 2 से अध्याय 6 के सभी या कोई उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 40(1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तालापारा प.ह.नं. 39 तिफरा प.ह.नं. 39	121 11234	अधीक्षण अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, बिलासपुर.	महाराणा प्रताप चौक पर फलाई ओव्हर निर्माण एवं सड़क तथा उन्नयन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2019

क्रमांक 85/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सकरी (वितरक)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3	0.061
1/2	0.202
1/1	0.081
4/1	0.065
9/2	0.040
4/2	0.032
9/1	0.101
11	0.170
10/1क	0.251
10/2	0.251
19/11	0.130
10/3	0.178
42/19 क	0.008
18/5घ	0.012
18/29	0.194
18/35	0.389
18/27	0.194
19/9	0.121
19/10	0.138
19/12	0.162
19/7	0.405
19/4	0.219
40/6	0.283
40/7	0.121
40/4	0.607
42/30	0.551
42/26	0.389
42/32	0.373
42/35	0.194
42/34	0.178
42/18	0.162
42/23	0.194
44/4, 227	0.340
230/1	0.081
229	0.057
226, 228	0.304
12/2, 14/1	0.194
15/1, 15/2	0.138
16/1	0.049
16/2	0.267
17/1	0.081
40/3	0.109
योग 46	8.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक 10195/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-घुंचापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/1	0.097
58/2	0.004
62/1क	0.020
66/3	0.152
67/1	0.008
71/2	0.004
73	0.045
74/1	0.056
285/2	0.004
48/1, 48/2	0.008
334/1	0.004
54/1	0.120
211/1	0.004
263/2	0.008
55/1	0.148
56/1	0.020
255/1	0.020
66/1	0.048
385/2	0.121
68/1, 70/1	0.004
51	0.040
62/1ख, 413/1	0.068
210/1	0.053
258	0.080
407/1	0.020
387	0.068
64/3	0.405
284/3	0.081
284/1	0.020
385/3	0.016
282	0.080
284	0.105
259	0.108
260	0.040
281	0.044
262	0.048
206	0.148
209	0.072
211/3	0.069
263/1	0.032
272, 273	0.072
264	0.036
265	0.028
255/2	0.080
269	0.020
270	0.020
271	0.205
210/2	0.061
211/2	0.064
205	0.097
53/1	0.080
योग 51	3.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 20 जून 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/268/07/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-कुकुरदी, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.733 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	281/5	0.510
	281/6	0.283
	300	0.120
	302	0.076
	303/1	0.265
	303/2	0.850
	303/3	0.707
	354/1, 4	0.397
	354/2	0.100
	354/3, 5	0.106
	304	0.319
योग	11	3.733

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 20 जून 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/270/08/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-परसाभदेर, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.683 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.140
84/7	0.136
392	0.004
393	0.093
432/2	0.004
3/1	0.017
5/1	0.005
5/3	0.101
98	0.114
441/1	0.036
455/1	0.138
440/1	0.004
3/3	0.138
4	0.198
81	0.004
80/2	0.016
99/1	0.105
503	0.069
608	0.090
455/3	0.016
442	0.045
5/2	0.546
54/1	0.065
54/4	0.164

(1)	(2)	(1)	(2)
54/2	0.256	84/12	0.016
55/2	0.004	427	0.062
357/3+4	0.161	431	0.073
83	0.010	396	0.056
439/2क	0.041	439/1क	0.056
84/6	0.064	439/2ख/2	0.017
85/1	0.004	439/2ख/3	0.017
85/2+5	0.250	439/2ख/4	0.018
85/3	0.050	504/1	0.013
91	0.056	491/51, 491/30	0.203
85/4	0.106	491/50	0.120
86/1	0.041	606/2	0.075
87/1	0.033	604/4	0.041
88/2	0.067	604/5	0.121
614	0.033	602/1+2+3	0.128
89	0.053	604/3	0.041
92	0.044	603/2	0.364
97	0.056	491/42, 491/43	0.247
102	0.028	491/48, 491/49	0.033
103	0.030	491/44, 491/45	0.065
603/1	0.041	430/2	0.064
99/2	0.031	84/9	0.012
104	0.053	605	0.021
225	0.021		
105/1	0.150	योग 81	6.683
105/2	0.146		
226	0.011		
227	0.005		
394/4	0.153		
394/7	0.231		
607	0.145		
395	0.008		
426	0.129		
491/36+37	0.061		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक/आब./स्था. (अराज.)/2019/979.—छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा-2017 के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को आबकारी उप निरीक्षक (सेवा कार्यपालिक) के पद पर वेतनमान (5200-20200+ग्रेड वेतन 2800) मैट्रिक्स लेबल-7 में एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर उनके उपस्थित होने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शाये जिले में आगामी

आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

क्र. (1)	चयन सूची अनुक्रमांक (2)	उम्मीदवार का नाम (3)	पदस्थ नियुक्ति जिले का नाम (4)
1.	02	श्री महेश कुमार राठौर	जांजगीर चांपा
2.	03	श्री नागेश राज श्रीवास्तव	कबीरधाम
3.	04	श्री कौशल किशोर सोनी	महासमुंद
4.	05	श्री विजयन्त तिवारी	धमतरी
5.	06	श्री अरविन्द कुमार	नारायणपुर
6.	07	सुश्री दीपमाला नागदेव	मुंगेली
7.	08	श्री प्रकाश कुमार देशमुख	बेमेतरा
8.	09	सुश्री शिखा आहूजा	दुर्ग
9.	10	सुश्री उम्मी रूमा	कोरबा
10.	11	सुश्री नीलम स्वर्णकार	बालोद
11.	12	सुश्री लक्ष्मीण कहार	सरगुजा
12.	14	श्री उमेश कुमार लहरी	बलौदाबाजार
13.	17	श्री शशांक शांडिल्य	कांकेर
14.	18	श्री मनराखन नेताम	दुर्ग
15.	19	श्री शिवेन्द्र सिंह	जगदलपुर
16.	20	श्री शिव शंकर	बीजापुर
17.	21	सुश्री विजीता रानू भगत	कोरिया

उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी.

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची के अनुसार रहेगी.

2. नियुक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर संबंधित नियुक्त किये गये जिले में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा.

3. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके उपस्थित होने पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ संबंधित जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

4. संबंधित उम्मीदवार की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि का भुगतान कर सेवाएं समाप्त की जा सकती है.

5. चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

6. संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन पत्र में चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस विभाग से विपरीत टीका/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जो शासकीय सेवा में बाधक हो तो तत्काल सेवामुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी.

7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 31-3-2012 के कंडिका 3 (2) अनुसार उनकी नियुक्ति अनन्तिम है अभ्यर्थी के द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियम अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अथवा छानबीन समिति के द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये पूर्वाग्रह के नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी. तथा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी. जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा.

8. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 नियम 1962 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम, 1965 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 शासित होंगे.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाणपत्रों की मूलप्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी.

10. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा.

11. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

12. परिवीक्षा अधिकारी को परीवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे.

13. परिवीक्षा अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षायें भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से 01 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जावेगी.

14. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

निरंजन दास,
आबकारी आयुक्त.

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.
मुख्यालय, ''बीज भवन'' रविग्राम तेलीबांधा, जी.ई.रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2019

परिपत्र

क्रमांक/मुख्या./बीकृविनि./स्था./2019-20/3529.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर का आदेश क्र./ई 1-01/2019/एक-2 दिनांक 29-06-2019 के परिपालन में दिनांक 02-07-2019 को पूर्वान्ह छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. में प्रबंध संचालक के मद पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया हूं.

नरेन्द्र कुमार दुग्गा,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक 6046/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974), की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-8697/चेकर/तीन-10-8/2000 (VII) दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि दिनांक 06 जुलाई 2019 से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणत: निम्न सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बालोद	1. बालोद
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार
		2. भाटापारा
3.	बलरामपुर मुख्यालय रामानुजगंज	1. रामानुजगंज
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर
		2. पेण्ड्रारोड
7.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
8.	धमतरी	1. धमतरी
		1. कुरूद
9.	दुर्ग	1. दुर्ग
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
		2. सक्ती
11.	जशपुर	1. जशपुर
		2. कुनकुरी
		3. पत्थलगांव
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव
14.	कोरबा	1. कोरबा
		2. कटघोरा
15.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. बैकुण्ठपुर
		2. मनेन्द्रगढ़
16.	महासमुंद	1. महासमुंद
		2. सरयापाली
17.	मुंगेली	1. मुंगेली
18.	रायगढ़	1. रायगढ़
		2. सारंगढ़
		3. घरघोड़ा
19.	रायपुर	1. रायपुर
		1. गरियाबंद

(1)	(2)	(3)
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर
22.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अम्बिकापुर
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर

No. 6046/Checker/III-10-8/2000 (VIII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 8697/ Checker/III-10-8/2000 (VII), dated 12-09-2018, the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect from the 6th July 2019 ordinarily the Court of Sessions spccified in column No. (2) of the Table below, shall hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1.	Balod	1. Balod
2.	Balodabazar	1. Balodabazar 2. Bhatapara
3.	Balrampur Headquarter at Ramanujganj.	1. Ramanujganj
4.	Bastar (Jagadalpur)	1. Jagdalpur
5.	Bemetara	1. Bametara
6.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Pendraroad
7.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
8.	Dhamtari	1. Dhamtari 2. Kurud
9.	Durg	1. Durg
10.	Janjgir-Chapma	1. Janjgir 2. Sakti
11.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri 3. Patthalgaon
12.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha
13.	Kondagaon	1. Kondagaon
14.	Korba	1. Korba 2. Katghora
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikuntpur 2. Manendragarh
16.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali
17.	Mungeli	1. Mungeli
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora
19.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband

(1)	(2)	(3)
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh
21.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur
22.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur

बिलासपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक 6047/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-2001/चेकर/तीन-10-8/2000 (VII), दिनांक 19-02-2019 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना पृ. क्रमांक 5488/1732/21-B/2019 दिनांक 31 मई, 2019 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 06-07-2019 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद 2. गुण्डरदेही	2 1	1. बालोद 2. दल्लीराजहरा 3. डौण्डीलोहारा	2 1 1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा	4 1	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा 3. कसडोल	2 1 1	1. बलौदाबाजार 2. भटगांव 3. बिलाईगढ़ 4. सिमगा	1 1 1 1
3.	बलरामपुर मुख्यालय, रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	2	1. बलरामपुर 2. वाड्रफनगर 3. राजपुर	1 1 1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा 2. साजा	2 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1
				3. बिल्हा	1	3. कोटा	2
						4. मरवाही	1
						5. तखतपुर	1
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	3	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग	12	1. दुर्ग	5	1. दुर्ग	16
				2. पाटन	1	2. भिलाई-3	1
				3. भिलाई-3	1		
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	2
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
11.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	2	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
		3. पत्थलगांव	1			3. बगीचा	1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	4	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
14.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	3	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	2	2. कटघोरा	2	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. बैकुंठपुर	1	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
		2. मनेन्द्रगढ़	2	2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
		2. सरायपाली	1	2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	1	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	1
						2. लोरमी	1
18.	रायगढ़	1. रायगढ़	8	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
		3. घरघोड़ा	1	3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	2
19.	रायपुर	1. रायपुर	15	1. रायपुर	8	1. रायपुर	19
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	3	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
		3. डोंगरगढ़	1	3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	4	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
22.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	7	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर	5
						2. सीतापुर	2
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	2	1. कांकेर	3	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**108**		**96**		**135**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 6047/Checker/III-10-8/2000 (VIII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 2001/Checker/III-10-8/2000 (VII), dated 19-02-2019, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification Endt. No. 5488/1732/21-B/2019 dated 31-05-2019 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 06-07-2019 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	4	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Balrampur Headquarter at Ramanujganj	1. Ramanujganj	2	1. Ramanujganj	2	1. Balrampur	1
						2. Wadrafnagar	1
						3. Rajpur	1
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
5.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
6.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1
				3. Bilha	1	3. Kota	2
						4. Marwahi	1
						5. Takhatpur	1
7.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	3	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
8.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
9.	Durg	1. Durg	12	1. Durg	5	1. Durg	16
				2. Patan	1	2. Bhilai-3	1
				3. Bhilai-3	1		
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	2
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
11.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	2	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
		3. Patthalgaon	1			3. Bagicha	1
12.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	4	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2 Narayanpur	1	2. Keshkal	1
14.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	3	1. Korba	1
		2. Katghora	2	2. Katghora	2	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh	1 2	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Chirmiri	2 1 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Janakpur	1 1 1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 1	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 1	1. Mahasamund 2. Pithoura	2 1
17.	Mungeli	1. Mungeli	1	1. Mungeli	2	1. Mungeli 2. Lormi	1 1
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora	8 1 1	1. Raigarh 2. Gharghora 3. Sarangarh	2 1 1	1. Raigarh 2. Dharamjaigarh 3. Kharsiya	4 1 2
19.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband	15 1	1. Raipur 2. Gariyaband	8 2	1. Raipur 2. Gariyaband 3. Rajim 4. Tilda 5. Devbhog	19 1 1 1 1
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh	3 1 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh-chowki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 1 1 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
21.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur 2. Pratappur	4 1	1. Surajpur	2
22.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	7	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur 2. Sitapur	5 2
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur	2 1	1. Kanker 2. Bhanupratappur	3 1	1. Kanker 2. Pakhanjur	1 1
		Total	**108**		**96**		**135**

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, I/C. Registrar General.

Bilaspur, the 2nd July 2019

No. 714/Confdl./2019/II-1-4/2017.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/01/2019-US.II dated 25th June, 2019 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Sharad Kumar Gupta, Hon'ble Shri Justice Ram Prasanna Sharma and Hon'ble Shri Justice Arvind Singh Chandel have assumed charge of the office of the Additional Judge of High Court of Chhattisgarh in the afternoon of 26th June, 2019.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्रमांक 142/दो-3-34/2008.—श्री संजय कुमार जायसवाल, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ वर्तमान रजिस्ट्रार (आई एण्ड ई), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-05-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से दिनांक 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्रमांक 143/दो-3-2/2004.—श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-05-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से दिनांक 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
रामायण प्रसाद देवांगन, लेखाधिकारी.